झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

*विषयः— राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में यू0जी0/पी0जी0 कोर्स में शतप्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोडने पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने तथा पी0जी0 कोर्स में नामांकन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के संबंध में स्वीकृति।*

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में Under Graduate/Post Graduate Course में नामांकन के उपरान्त अथवा कोर्स पूरा करने के पूर्व कुछ छात्र कोर्स छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं जिसके फलस्वरूप उक्त सीटें रिक्त रह जाती है। इससे राज्य को अपूरणीय क्षति होती है।

वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार पी0जी0 कोर्स में पढ़ाई के दौरान अथवा कोर्स पूरा करने के पूर्व कोर्स छोड़कर जानेवाले पी0जी0 छात्रों को छात्रवृत्ति के मद में भुगतान की गयी राशि एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर जमा कराया जाता है। यह राशि अत्यल्प होने के कारण छात्रों में कोर्स छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ गयी है।

अतः राज्य के मेडिकल कॉलेज में Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में शतप्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :—

2. All India Quota एवं State Quota के सीटों के विरूद्ध Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में नामांकन हेतु Final round of counselling द्वारा आवंटित सीटों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होगा। यदि कोई छात्र Final counselling के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते है तो वैसे छात्रों को झारखण्ड में उक्त कोर्स में नामांकन हेतु NEET U.G./P.G. अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अगले एक शैक्षणिक सत्र के लिये वंचित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि वे राज्य के बाहर के किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं एवं कोर्स पूर्ण करने के पूर्व छोंडकर किसी अन्य महाविद्यालय में नामांकन कराते हैं तो आर्थिक दण्ड के रूप में रू0 10,00,000/— (दस लाख) का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा तथा छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की भी वसूली की जायेगी।

ज्ञापांकः- 230(9) / राँची, दिनांकः- 22.12.2015

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः- 230(9) / राँची, दिनांकः- 22.12.2015

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, राँची / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड / सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड / सचिव, विधि (न्याय) विभाग / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / निदेशक, चिकित्सा शिक्षा / निदेशक / अधीक्षक, रिम्स, राँची / प्राचार्य / अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद एवं एम0जी0एम0सी0एच0, जमशेदपुर / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव